

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी**  
**(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 123/2014**  
**संस्थित दिनांक 28.02.2014**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
अंजड़, जिला बड़वानी, मप्र

– **अभियोगी**

**वि रू द्ध**

सुभाष पिता मांगीलाल कोली, आयु 52 वर्ष,  
पेशा-नौकरी (चपरासी, रणगांव पंचायत)  
निवासी-ग्राम चकेरी, हाल मुकाम तलाईपुरा रणगांव  
(दवाना), थाना ठीकरी जिला बड़वानी, मप्र

– **अभियुक्त**

**अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी**

**अभियुक्त द्वारा अभिभाषक – श्री आर. के. श्रीवास**

–: **नि र्ण य :-**

**(आज दिनांक 15.10.2016 को घोषित)**

**01–** आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 45/2014 के आधार पर दिनांक 23.02.2014 को रात्रि लगभग 4 बजे गिरनी फल्या, अंजड़ में फरियादी के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित करने के कारण भादवि की धारा 457 का आरोप है।

**02–** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी आरोपी को जानता है तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादी ने आरोपी से दिनांक 11.08.2016 को राजीनामा न्यायालय में पेश किया था, किन्तु अशमनीय अपराध होने के कारण उक्त समझौता न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

**03–** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2014 व 24.02.2014 की दरमियानी रात में फरियादी दिलीप अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सो रहा था, कमरे का दरवाजा खुला था, सुबह करीब 4 बजे उसके पैर से आदमी के पैर टकराने पर उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि कमरे में एक व्यक्ति घुसा था, जो उसके उठने पर भागने लगा, उसने उसे पकड़ा और चिल्लाया तो आसपास मोहल्ले के मनोज, विरेंद्र, रामू, मुकेश, दिनेश, नानक, बलवंत आ गए, फिर सभी ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुभाष पिता मांगीलाल कोली निवासी चकेरी हाल

दवाना का होना बताया, घर में घुसने का कारण नहीं बताया। यदि आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो वह अवश्य चोरी या कोई अन्य अपराध करता, फिर फरियादी आरोपी को लेकर थाने गया और आरोपी के विरुद्ध प्रपी-1 की रिपोर्ट थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 45/2014 पर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, घटनास्थल पहुंचकर नक्शामौका बनाया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04-** उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 457 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और ना उसे किसी ने पकड़ा था और ना थाने ले गए थे। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

**05-** प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 23.02.2014 व 24.02.2014 की दरमियानी रात्रि लगभग 4 बजे गिरनी फल्या, अंजड़ में फरियादी के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

**- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -**

**06-** उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी दिलीप कोली (अ.सा.-1) का कथन है कि घटना लगभग ढाई साल पहले की है, रात को वह और उसकी पत्नी संगीता घर के बाहर वाले कमरे में सोये थे, कमरे का दरवाजा खुला था, रात में किसी व्यक्ति का पैर उसके पैर से टकराया तो उसकी नींद खुली, वह चिल्लाया और उस व्यक्ति को पकड़ा, आस-पड़ोस में रहने वाले मनोज, विरेंद्र, रामू, मुकेश आदि आ गए थे। साक्षी का यह भी कथन है कि फिर उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो उसने अपना नाम नहीं बताया और ना ही घर में घुसने का कारण बताया, फिर पुलिस आ गई थी और उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई थी। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि उसने थाने पर उस व्यक्ति का नाम पूछकर रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें अभियुक्त का नाम सुभाष लिखाया था, जो उसने बताया था। साक्षी को प्रपी-1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए जाने पर उसने ऐसी रिपोर्ट लिखाना स्वीकार करते हुए उस पर स्वयं की अंगूठा निशानी भी स्वीकार की है। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि पुलिस ने घटनास्थल देखा था और उससे पूछताछ की थी।

**08—** बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि रात को उसके घर में बिजली की रोशनी नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसका दूर का रिश्तेदार है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर भीड़ हो जाने से वह अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाया था, किन्तु आगे यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त का नाम उसे थाने पर पता चला। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ और अभियुक्त का नाम पुलिस ने ही लिखा था, अभियुक्त ने उसे उसका नाम नहीं बताया था।

**09—** अभियोजन साक्षी संगीता (अ.सा.-2) ने भी फरियादी दिलीप कोली (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए लगभग 2 साल पहले रात्रि में किसी व्यक्ति का पैर उसके पति के पैर से टकराने और उसके पति के द्वारा उसे पकड़कर थाने ले जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि बाद में उसे पता चला था कि घर में घुसने वाला व्यक्ति आरोपी था और वह क्यों घर में आया था, वह नहीं बता सकती है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्पष्ट किया है कि पुलिस बाद में आई थी और उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को उसके पति ने पकड़ लिया था। इस सुझाव से भी साक्षी ने इन्कार किया है कि आरोपी चोरी करने के लिए उनके घर में घुसा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसके पति ने राजीनामा कर लिया है, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिए असत्य कथन कर रही है।

**10—** अभियोजन साक्षी जगदीश कलमे (अ.सा.-3) ने दिनांक 24.02.2014 को पुलिस थाना अंजड़ में उसके प्रधान आरक्षक के पद पर रहते फरियादी दिलीप पिता करसन अपने साथ अभियुक्त को साथ लाकर आरोपी द्वारा रात्रि में उसके घर के अंदर घुसकर चोरी करने या कोई अपराध करने के संबंध में प्रपी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। साक्षी ने प्रपी-1 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है।

**11—** बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी पढ़ा-लिखा नहीं था। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि उसने उसे रिपोर्ट पढ़कर बताई थी, इसके अलावा अन्य कोई लिखित रिपोर्ट फरियादी के द्वारा नहीं दी गई। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी कथन आया है कि “मेरे द्वारा घटना के बारे में आरोपी का नाम बताया था।” (सम्भवतः उक्त कथन टायपिंग त्रुटि के कारण टंकित हुआ है और उक्त साक्षी के सम्पूर्ण कथनों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि साक्षी से प्रश्न पूछने और उसके उत्तर का मतलब यह होता है कि, “फरियादी ने उसे रिपोर्ट लिखाते हुए आरोपी का नाम बताया था”)।

**12—** इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी जगदीश कलमे (अ.सा.—3) को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि फरियादी ने आरोपी को अपने साथ थाने पर लाकर उसके विरुद्ध घर में घुसकर चोरी करने के आशय से फरियादी के घर में मध्यरात्रि में अनाधिकृत प्रवेश करने के संबंध में रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, बल्कि अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि फरियादी आरोपी को जानता है और मध्यरात्रि के समय आरोपी उसके निवास स्थान में घुसा था। यद्यपि उक्त फरियादी साक्षी दिलीप कोली (अ.सा.—1) आरोपी के उसके घर में घुसने का आशय नहीं बता सका, लेकिन मध्यरात्रि के समय किसी अन्य व्यक्ति के निवास स्थान में बिना अनुमति के घुसने से ही आरोपी का आशय कोई अपराध या चोरी करने का होने की उपधारणा की जा सकती है। दिलीप कोली (अ.सा.—1) के कथनों से यह भी प्रमाणित होता है कि उक्त साक्षी अपने घर में घुसने वाले व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ थाने ले गया था और रिपोर्ट दर्ज कराई थी और थाने पर उस व्यक्ति का नाम पूछा था। यहां तक कि, उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी की पहचान भी अपने घर में घुसने वाले व्यक्ति के रूप में की है। आरोपी द्वारा मध्यरात्रि में फरियादी दिलीप के निवास स्थान पर बिना अनुमति प्रवेश करने से आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 457 का अपराध भलीभांति प्रमाणित होता है, जो कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

**13—** इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से युक्तियुक्त संदेह से परे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि आरोपी कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से फरियादी के निवास स्थान में घटना दिनांक को मध्यरात्रि के समय घुसा था और आरोपी ने रात्रि गृह भेदन का अपराध किया है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने चोरी करने के आशय से फरियादी के निवास स्थान में प्रवेश किया, ऐसी स्थिति में भादवि की धारा 457 का प्रथम भाग प्रमाणित होता है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त सुभाष पिता मांगीलाल कोली, आयु 52 वर्ष, निवासी चकेरी, हाल तलाईपुरा रणगांव (दवाना) थाना ठीकरी को भादवि की धारा 457 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध आरोप में दोषसिद्ध घोषित करता है।

**14—** प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय का आलेखन कुछ देर के लिए स्थगित किया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

**पुनश्च:**

**15—** सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी व विद्वान अभिभाषक श्री आर. के. श्रीवास को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी भूलवश शराब के

नशे में फरियादी के घर में घुस गया था, किन्तु उसका अपराध करने का कोई आशय नहीं था तथा फरियादी व उसकी पत्नी ने अभियुक्त से राजीनामा भी कर लिया है और वह नियमित रूप से विचारण का सामना कर रहा है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। प्रकरण में आरोपी 10 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भी रहा है, ऐसी स्थिति में केवल निरोध में भुगताई गई अवधि तक के कारावास की सजा से ही दण्डित किया जाए। यह सही है कि आरोपी द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है और फरियादी पक्ष ने आरोपी से राजीनामा भी कर लिया है तथा प्रकरण में आरोपी 10 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भी रहा है, जिसे देखते हुए आरोपी को और अधिक कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी सुभाष पिता मांगीलाल कोली, आयु 52 वर्ष, निवासी चकेरी, हाल तलाईपुरा रणगांव (दवाना) थाना ठीकरी को भादवि की धारा 457 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए उसके द्वारा निरोध में बिताई गई 10 दिन की अवधि तक के कारावास तथा रुपये 1,000/- अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को 10 दिन का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

**16—** अभियुक्त अपनी व्यतीत की गई निरोध अवधि को दंप्रसं की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

**17—** अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

**19—** निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

**20—** प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.